हरिद्वार विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार

की

38 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक

21-07-05

भाग–(अ)

मद संख्या–38–(1)

विषयः– विगत 37 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29–01–2005 में लिए गये निर्णयों का क्रियान्वयन।

कमांक	विषय	निर्णय	अनुपालन
34.01(1)	अन्तर्राज्यीय बस अड्डा	ऋषिकुल में बस अड्डा स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया। जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि यदि ऋषिकुल की भूमि के अतिरिक्त अन्यत्र बस स्थापित किया जाता है तो ऋषिकुल की वर्तमान में पार्किंग के लिए उपयोग में आने वाली भूमि का उपयोग यथावत बना रहेगा।	निर्णयानुसार भूमि हस्तांतरण हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित है। प्राधिकरण में भूमि प्राप्त होने के उपरांत ही विकास कार्य की कार्यवाही की जानी है।
34.01(4)	हरिद्वार विकास प्राधिकरण में गंगा नदी तट से दोनो ओर 200 मीटर तक के प्रकरण	इस सम्बन्ध में निर्णय हुआ कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिन मुख्य अवैध निर्माण कर्ताओं की सूची प्रकाशित की जा चुकी है उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही एक माह में सुनिश्चित की जायें।	प्रशासनिक अधिकारी (सचिव) के अभाव में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नही की जा सकी है।
34.01(5)	ऋषिकेश ट्रान्सपोर्ट नगर	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया कि अभी प्रस्तावित स्थल की भूमि का वन विभाग से हस्तान्तरण नही हो सका है। निर्णय हुआ कि हस्तांतरण के उपरांत शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।	वन विभाग से भूमि प्राप्त होने पर ही कार्यवाही अपेक्षित है।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 38वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21–07–2005 का कार्यवृत्त

प्राधिकरण की 38वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21–07–2005 को अध्यक्ष/ आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के समागार में आयोजित की गयी।

उपस्थितिः–

1–	श्री सुभाष कुमार, आयुक्त गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2–	श्री चनर राम, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
3–	श्री आर0के0 सुधांशु, जिलाधिकारी, हरिद्वार	पदेन सदस्य
4–	श्री के0सी0 मिश्रा, अपर सचिव, वित्त	पदेन सदस्य
5–	श्री सतपाल ब्रम्हचारी, अध्यक्ष, न0पा0परिषद, हरिद्वार	पदेन सदस्य
6–	श्री दीप शर्मा, अध्यक्ष, न0पा0 परिषद, ऋषिकेश	पदेन सदस्य
7–	श्री मनोज द्विवेदी, अध्यक्ष, न0पं0 मुनिकीरेती	पदेन सदस्य
8–	श्री युगल किशोर पन्त, प्रशासक, न0पं0 रानीपुर	पदेन सदस्य
9–	महन्त महेन्द्र सिंह, हरिद्वार	नामित सदस्य
10–	श्री अशोक सेठी, हरिद्वार	नामित सदस्य
11–	श्री सुनील प्रभाकर, ऋषिकेश	नामित सदस्य

सर्वप्रथम विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, श्री चनर राम द्वारा बोर्ड के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

मद संख्या–38–01 – विगत 37वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29.1.2005 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन–

34–01(1) अन्तर्राज्यीय बस अड्डा

हरिद्वार शहर में प्रति वर्ष होने वाले पर्वो तथा अर्द्ध/ कुम्भ मेलों में पार्किंग की आवश्यकता के दृष्टिगत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऋषिकुल की भूमि पर ही अन्तर्राज्यीय बस अड्डा का निर्माण ह0वि0प्रा0 द्वारा कराया जाय। भूमि हस्तांतरण हेतु उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 एवं जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जाय।

Secretary Vice Chairman Chairman/ Commissioner

34.03(4)	भल्ला कालेज मैदान की भूमि पर स्पोर्टस काम्पलैक्स	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि भल्ला कालेज मैदान में कुम्भ/ अर्द्ध कुम्भ मेलों में उपयोग किया जाता रहा है। अतः इस मैदान के आस–पास ही नगर पालिका की अन्य भूमि जिसे कृषि फार्म के नाम से कहा जाता है पर स्पोर्टस काम्पलैक्स का निर्माण उचित रहेगा।सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि पर निर्माण हेतु धन की उपलब्धता के आधार पर फेजेज में कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाये ताकि मेला पार्किंग के लिए भूमि उपलब्ध रहें।	निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा अन्य भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र सं0–4725 दिनांक 23–03–05 के द्वारा सूचित किया गया। जिसके उत्तर में पालिका द्वारा 95 गुणा 60 मी0 की माप में भूमि का रकेच प्लान इस शर्त के साथ उपलब्ध कराया गया कि पालिका की भूमि लीज अथवा फ्री–होल्ड प्रकिया के अंतर्गत बोर्ड की सहमति एवं शासन की स्वीकृति के उपरांत ही दी जा सकती है। अतः पालिका द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के उपरांत ही निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है।
37(2)	विगत 36 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20–9–2004 परिचालन विधि द्वारा स्वीकृत कराये गये प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष–2003–04 के पुनरीक्षित/ वास्तविक आय व्ययक तथा वर्ष 2004–05 के प्रस्तावित आय व्ययक की कार्यवाही की पुष्टि।	वर्ष 2003–04 के बजट के सम्बन्ध में श्री के0सी0 मिश्रा, अपर सचिव, वित्त द्वारा निम्नानुसार टिप्पणी दी गयी– 1– प्रस्तावित बजट में कुछ मदों में अत्यधिक आय प्रस्तावित की गई है जबकि प्राप्तियां अब तक शून्य रही है। जैसे हडको से ऋण रू0–1800.00 लाख तथा नई योजनाओं में सम्पत्ति विकय से रू0–800.00 लाख । उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण हित में प्राधिकरण के पास उपलब्ध राशि को ही उपयोग में लायी गई जिस कारण अभी तक ऋण की आवश्यकता नही हुई है। नई योजनाओ मे प्राधिकरण को भूमि का कब्जा देरी से मिलने के कारण अभी तक सम्पत्ति के विकय हेतु पंजीकरण प्रारम्भ नही हो सका है।इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जा रही है। 2– वाहन/ मशीनरी आदि कय की मद में रू0 7. 25 लाख का प्रस्तावित प्राविधान अधिक प्रतीत हो रहा है इस पर उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण में एक वाहन शीघ्र कय किये जाने का प्रस्ताव है। वाहन में आवश्यक असेसिरिज सहित आवश्यक	वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृत बजट के अनुसार/ अन्तर्गत ही व्यय किये गये है। वास्तविक आय एवं व्यय का पूर्ण विवरण आगे वित्तीय वर्ष 2005–06 के प्रस्तावित आय–व्ययक मद सं0 2 में उपलब्ध है।

34–01(4) हरिद्वार विकास प्राधिकरण में गंगा नदी तट से दोनों ओर 200 मीटर तक के प्रकरण–

इस बिन्दु पर आगे मद संख्या–37–12(5) पर निर्णय लिया गया है अतः इस मद को एजेण्डा से समाप्त किया गया।

34–01(5) ऋषिकेश ट्रांसपोर्ट नगर

ट्रांसपोर्ट नगर हेतु वन विभाग से भूमि प्राप्त करने हेतु अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश एवं उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 को निर्देश दिये गये। भूमि उपलब्ध होने पर अलग से इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। एजेण्डा को मद से समाप्त किया गया।

34–03(4) भल्ला कालेज मैदान की भूमि पर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स

अध्यक्ष, न0पा0 हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका की बोर्ड बैठक में इस भूमि के समीप कृषि फार्म के नाम उपलब्ध भूमि ह0वि0प्रा0 को उचित शर्तो पर इन्डोर स्टेडियम के निर्माण हेतु उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में निर्णय लिया गया कि हरिद्वार में पार्किंग की समस्या के दृष्टिगत भल्ला कालेज मैदान की भूमि पर केवल बाउन्ड्रीवाल निर्माण तथा कृषि फार्म वाली भूमि पर इन्डोर स्टेडियम का निर्माण ह0वि0प्रा0 द्वारा कराया जाय।

37–02 प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 का पुनरीक्षित (वास्तविक) आय व्ययक

प्रस्तुत आय–व्ययको का अवलोकन किया गया तथा एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/ Commissioner

37(12)	**अन्य बिन्दु अध्यक्ष की अनुमति से** 1– विद्युत शवदाह गृह में लम्बित विद्युत बिलो का भुगतान	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि धनाभाव के कारण लम्बित विद्युत बिलों का भुगतान नगर पालिका परिषद द्वारा नही किया जा सका है तथा इस कारण संयंत्र कार्य नही कर रहा है। जनहित में इसे कार्यशील करना आवश्यक है। विद्युत बिल की धनराशि लगभग 7–8 लाख बतायी गयी है। निर्णय हुआ कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना विकास निधि से इस लम्बित बिल का भुगतान कर दिया जाये। तत्पश्चात विद्युत शवदाह गृह को चालू कराकर आगामी बिलों का भुगतान नगर पालिका द्वारा ही किया जाता है।	निर्णय के अनुपालन में उत्तरांचल पॉवर कारपोरेशन को रू0 5,75,702–00 का प्राधिकरण द्वारा चैक सं0–200781 दिनांक 24–02–2005 द्वारा भुगतान किया जा चुका है।
	2– हर की पैड़ी स्थित जनानाघाट हेतु अधिग्रहण आदि से संबंधित भुगतान	इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हरिद्वार ने अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अवमानना याचिका के अन्तर्गत रू0 5.00 लाख का भुगतान किया जाना है। निर्णय हुआ कि इसे नगर पालिका परिषद, हरिद्वार तथा हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि से आधा–आधा भुगतान जिलाधिकारी हरिद्वार को उपलब्ध करा दिया जायें।	निर्णय के अनुपालन में जिलाधिकारी हरिद्वार को रू0 2.50 लाख का भुगतान प्राधिकरण द्वारा चैक सं0–200953 दिनांक 03–02–2005 द्वारा किया जा चुका है।
	3–भल्ला कालेज स्थित आडिटोरियम की छत में साउण्ड प्रु व्यवस्था	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि इस आडिटोरियम में हॉल के अन्दर आवाज गूंजती है जिसमें लगभग रू0–10.00 लाख का व्यय अनुमानित है। निर्णय हुआ कि संबंधित निर्माण एजेन्सी का लगभग रू0 5.00 लाख का जो भुगतान रोका गया है उससे तथा अवशेष रू0 5.00 लाख नगर पालिका हरिद्वार व हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा आधा–आधा व्यय कर नगर पालिका द्वारा ठीक करा दिया जाये।	निर्णयानुसार नगर पालिका द्वारा रू0 6.40 लाख का प्रस्ताव दिया गया है। बिल से रोकी गयी रू0 4.40 लाख की धनराशि निर्माण निगम को भुगतान किये जाने का सर्व प्रथम निर्णय लिया जाना है उसके उपरान्त ही उक्त राशि को नगर पालिका परिषद, हरिद्वार को भुगतान किया जाना है।

37–12(1) विद्युत शवदाह गृह के लम्बित विद्युत बिलों का भुगतान

अध्यक्ष, नगर पालिका, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि ह0वि0प्रा0 द्वारा लम्बित बिल रू0 5.76 लाख विद्युत विभाग में जमा कराने के उपरान्त नगर पालिका द्वारा इस शवदाह गृह को पुनः चालू करने हेतु कनेक्शन आदि की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा उक्त शवदाह गृह को शीघ्र चालू करा दिया जायेगा। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

37–12(2) हर की पैड़ी स्थित जनाना घाट हेतु अधिग्रहण आदि से संबंधित भुगतान

जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि ह0वि0प्रा0 एवं नगर पालिका से क्रमशः 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत धनराशि प्राप्त कर पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

37–12(3) भल्ला कालेज स्थित आडिटोरियम की छत में साउन्ड प्रूफ व्यवस्था

निर्णय लिया गया कि इस कार्य हेतु निर्माण एजेन्सी राजकीय निर्माण निगम से इस आशय का प्रमाण–पत्र लिया जाय कि उनके द्वारा आगणन के मदों के अनुरूप ही कार्य किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक अभियंता, ह0वि0प्रा0 द्वारा आगणन का परीक्षण कर लिया जाय। यदि उक्त आगणन में साउन्ड प्रूफ व्यवस्था का मद सम्मिलित था तब इस एजेन्सी का प्राधिकरण में अवशेष भुगतान रू0 4.40 लाख रोकते हुये इसे नगर पालिका हरिद्वार को हस्तांतरित कर दिया जाय तथा शेष व्यय को ह0वि0प्रा0 एवं नगर पालिका हरिद्वार द्वारा आधा–आधा वहन किया जायेगा और यदि मद आगणन में सम्मिलित नहीं था तब साउन्ड प्रूफ व्यवस्था के व्यय रू0 10.00 लाख को नगर पालिका एवं ह0वि0प्रा0 द्वारा आधा–आधा वहन किया जाय। प्रकरण को एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

37–12(4) ज्वालापुर क्षेत्र में एक हाईमास्ट लाइट की स्थापना

अध्यक्ष, नगर पालिका, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि इस क्षेत्र में एक नहीं दो हाईमास्ट लाइट की आवश्यकता है अतः निर्णय हुआ कि प्रस्तावित व्यय कुल रू0 5.00 लाख में से 50 प्रतिशत तत्काल अवस्थापना निधि से ह0वि0प्रा0 द्वारा न0पा0 हरिद्वार को उपलब्ध कराया जाय तथा अवशेष धनराशि नगर पालिका द्वारा कार्य पूर्ण करने के उपरान्त उपलब्ध करा दिया जाय। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

Secretary Vice Chairman Chairman/Commissioner

	4–ज्वालापुर क्षेत्र में एक हाई मास्ट लाईट की स्थापना	निर्णय हुआ कि अवस्थापना विकास निधि से हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा इस कार्य हेतु रू0 2.50 लाख का भुगतान नगर पालिका परिषद, हरिद्वार को उपलब्ध करा दिया जायें	निर्णय अनुसार नगर पालिका परिषद; हरिद्वार द्वारा कार्य पूर्ण करने के उपरान्त उनकी मांग पर यथा समय भुगतान किया जायेगा।
	5–गंगा नदी से 200 मीटर की दूरी तक निर्माण प्रतिबंध संबंधी शासनादेश में संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।	श्री सुनील प्रभाकर, गैर सरकारी सदस्य ऋषिकेश द्वारा उपरोक्त विषयक प्राधिकरण में लागू शासनादेश संख्या 320 दिनांक 05 फरवरी 2000 के सम्बन्ध में अवगत कराया कि उक्त शासनादेश व्यवहारित नही है। क्योंकि मुख्यता हरिद्वार, ऋषिकेश व अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर आबादी गंगा नदी के किनारे बसी हुई हैं अतः निर्णय हुआ कि जन सामान्य की आवासीय समस्याओं के निस्तारण हेतु उक्त शासनादेश में लगी पाबंदियों के सम्बन्ध में परीक्षण कर आवश्यक संशोधन हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।	निर्णय के अनुपालन में संदर्भित शासनादेश को शिथिल करने हेतु सचिव, आवास विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

37–12(5) गंगा नदी से 200 मीटर की दूरी तक निर्माण प्रतिबन्ध संबंधी शासनादेश में संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के संबंध में

उपाध्यक्ष ह0वि0प्रा0 द्वारा शिथिलीकरण हेतु शासन को पूर्व में प्रेषित किये गये प्रस्ताव पत्र पर विस्तृत चर्चा हुयी। अध्यक्ष न0पा0 ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रस्ताव में निर्माण करने वाले को नियमानुसार सीवर लाईन में कनेक्शन करवाने हेतु उल्लेख नहीं किया गया है अतः निर्णय लिया गया कि अन्य बिन्दुओं के साथ यह संशोधन भेज दिया जाय कि सीवर लाईन तक निर्माणकर्ता को सीवर कनेक्शन स्वयं कराना होगा। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

37–06 प्राधिकरण की अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के संबंध में

गठित समिति के सदस्यों ने अवगत कराया कि प्रथम फेज में आवासीय भू–उपयोग वाली प्रस्तावित 12 कालोनियों के अतिरिक्त इसी श्रेणी की 5 अन्य कालोनियां सम्मिलित किये जाने हेतु समिति द्वारा संस्तुति की गयी है। इसपर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस प्रकरण पर उपाध्यक्ष–ह0वि0प्रा0, जिलाधिकारी–हरिद्वार, अध्यक्ष, न0पा0 हरिद्वार एवं परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, हरिद्वार द्वारा पुनः परीक्षण कर अनुमोदन हेतु आख्या अध्यक्ष/ आयुक्त के समक्ष 15 दिन में प्रस्तुत की जाय।

38–02 हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2004–05 का पुनरीक्षित (वास्तविक) तथा वित्तीय वर्ष 2005–06 का प्रस्तावित आय–व्ययक

प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2004–05 के पुनरीक्षित (वास्तविक) आय व्ययक का अवलोकन किया गया। वित्तीय वर्ष 2005–06 के प्रस्तुत आय–व्ययक प्रस्तुत करते समय लेखाकार, ह0वि0प्रा0 द्वारा प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति प्रस्तुत की गयी जिसमें अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्राधिकरण पर हडको/ किसी भी वित्तीय संस्था का कोई ऋण नहीं है। इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट नगर योजना एवं इन्द्रलोक आवासीय योजना की भूमि क्रय मद में लगभग

Secretary Vice Chairman Chairman/ Commissioner

37(6)	**प्राधिकरण की अनाधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।**	इस सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गई। निर्णय हुआ कि प्रथम श्रेणी में प्रस्तावित 12 ऐसी निजी कालोनियां है जिनका महायोजना में भू–उपयोग आवासीय है ,को प्राथमिकता पर एक माह के अन्दर गठित समिति द्वारा निस्तारण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कर उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष/ आयुक्त के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायें। दूसरी श्रेणी जिनमें भू–उपयोग महायोजना के अनुसार आवासीय नही है तथा निजी भूमि, मेला भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि से संबंधित है उनमें आवश्यक कार्यवाही दो माह के अन्दर पूर्ण कर स्थिति से अध्यक्ष/ आयुक्त को अवगत कराया जायें। इस समिति में सहयुक्त नियोजक, उ0प्र0 मेरठ के स्थान पर सहयुक्त नियोजक गढ़वाल मण्डल (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तरांचल के प्रतिनिधि के रूप में) प्रतिस्थापित किया जाय तथा प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्य श्री सुनील प्रभाकर ऋषिकेश एवं परगना अधिकारी हरिद्वार को भी सम्मिलित किया जायें। इस सम्बन्ध में मंसूरी –देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कालोनियो के नियमितिकरण विषयक	निर्णय के अनुपालन में गठित समिति की बैठक दिनांक 2–3–2005 को की गयी । जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित 12 कालोनियो का नियमितिकरण किया जायें। 1– मंगलम बिहार, 2– मैरिज टाउनशिप ज्वालापुर, 3– पाण्डेयवाला, ज्वालापुर, 4– सुभाष नगर कालोनी ज्वालापुर, 5– योगीविहार कालोनी के पास ज्वालापुर, 6– रतन टाकिज के सामने– काशीपुरा हरिद्वार, 7– लाल मंदिर कालोनी ज्वालापुर 8– ललतारोपुल मार्ग टी0बी0 अस्पताल के सामने –हरिद्वार, 9– शांतिपुरम जगजीतपुर, 10'–हिमालयन सहकारी आवास समिति हरिपुर कलॉ, 11– नन्दा टेल के सामने, हरिपुर कलां, 12– हनुमान गढ़ी–कनखल उपरोक्त के अतिरिक्त समिति के निर्णयानुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत अन्य विकसित कालोनियां :– 1– गायत्री विहार, 2–उमा विहार, 3– भारत मातापुरम के पीछे कालोनी, 4– मीनाक्षी

		जो प्रणाली अपनायी गयी है उसे भी समिति द्वारा देख लिया जायें।	इन्कलैव लक्सर रोड जगजीतपुर, 5– जे0वी0जी0 इन्कलेब कुल अतिरिक्त 05 कालोनियों को भी इसी आधार पर स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी है। 1– उक्त कालोनियों में विकास शुल्क की दर रूपये– 146.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से लिया जाना प्रस्तावित है। 2– सबडिवीजन शुल्क सर्किल रेट के आधार पर 03 प्रतिशत लिये जाने का प्रस्ताव है। 3– मुख्य मार्ग पर सीवर की व्यवस्था उपलब्ध नही है अतः उक्त कालोनियों में सीवर लाईन डाला जाना सम्भव नही है। अतः भू–स्वामियों द्वारा सैप्टिक टेंक की व्यवस्था वंय करनी होगी। 4– भवन मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व सड़क सीमा विस्तार भवन उपविधि के अनुसार कराना होगा। 5– सड़क , पार्क एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें यथा स्थल जितनी उपलब्ध है सर्वे के आधार पर मान्य होगी। 6– मानचित्र स्वीकृति से पूर्व नियमानुसार विकास शुल्क सहित समस्त शुल्क का भुगतान करना होगा। 7– निर्मित

			भवनों के मामले में नियत विकास शुल्क रूपये–146.00 प्रति वर्ग मीटर के साथ–2 नियमानुसार शमन उपविधि के अनुसार निर्माण को शमन कराना होगा। 8– निर्माण स्वीकृति अथवा शमन के प्रकरण में नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण –पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। 9– नियमितिकरण उपरान्त पर्याप्त विकास शुल्क प्राप्त होने पर कालोनी में सीवर कार्य को छोड़कर नियमानुसार अवस्थापना विकास कार्य कराये जायेगें। अतः उपरोक्तानुसार उक्त कालोनियों के नियमितिकरण करने की संस्तुति सहित प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

भाग(ब)

मद सं0 38–02

विषयः– हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2004–05 का पुनरीक्षित (वास्तविक) तथा वित्तीय वर्ष 2005–06 का प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

(अ) वित्तीय वर्ष 2004–05 का पुनरीक्षित / वास्तविक आय–व्ययक –

इस वित्तीय वर्ष में कुल रू0–3247.50 लाख की आय का अनुमान रखा गया था जिसमें मुख्य रूप से हडको ऋण, ट्रांसपोर्ट नगर योजना में सम्पत्ति विकय, नई इन्द्रलोक आवासीय योजना में सम्पत्ति विकय एवं भेल सहकारी समिति आवासीय योजना में डिपाजिट वर्क से प्राप्तियां (कुल रू0 2600.00 लाख) सम्मिलित थी। हडको से किसी ऋण की आवश्यकता नही हुई। केवल ट्रान्सपोढ नगर योजना में भू–अर्जन मद में भुगतान हेतु पी0एन0बी0 हरिद्वार से रू0 2.75 करोड़ का अस्थायी ऋण लिया गया था जिसे प्राधिकरण खातें में धनराशि उपलब्ध होने पर पी0एन0वी0 को तत्काल वापस कर दिया गया था। उपरोक्त तीनों नई योजनाओं की भूमि का कब्जा प्राधिकरण को विलम्ब से मिलने के कारण इन योजनाओं में पंजीकरण से आय / प्राप्तियां सम्भव नही हो सकीं। शेष मदों में प्राप्तियां संतोषजनक रही है। इस वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्तियां रू0 851.84 लाख की रही है।मदवार पूर्ण विवरण संलग्न आय–व्ययक में उपलब्ध है।

व्यय पक्ष के अन्तर्गत समस्त भुगतान स्वीकृत प्राविधानों के अन्तर्गत किये गये है। पूंजीगत व्यय मद में उपरोक्तानुसार नई योजनाओं में भूमि का कब्जा विलम्ब से मिलने के कारण विकास कार्यो पर व्यय नही हो सका जो कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में किया जा सकेगा।

(ब) वित्तीय वर्ष 2005–06 का प्रस्तावित आय–व्ययकः–

संलग्न आय–व्ययक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु कुल रू0 5161.36 लाख (प्रारम्भिक अवशेष सहित) की आय का अनुमान तथा इसके सापेक्ष ही कुल रू0 5149.85 लाख के व्यय का प्राविधान प्रस्तावित किया जा रहा है। आय में राजस्व आय की मद में कुल रू0 596.50 लाख तथा पंजीगत आय मद में कुल रू0 4257.00 लाख की आय का अनुमान प्रस्तावित है। पूंजीगत मद में मुख्य रूप से तीन नई योजनाओं

—ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, इन्द्रलोक आवासीय योजना एवं भेल सहकारी समिति आवासीय योजनाओं से क्रमशः रू0 500.00 लाख, रू0 700.00 लाख एवं रू0 700.00 लाख की आय/ प्राप्ति का अनुमान रखा गया है। इसके अतिरिक्त हरिलोक योजना फेज—दो में भूमि अर्जन भुगतान एवं नई योजनाओं के विकास कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार कुल रू0 2250.00 लाख का ऋण प्राप्ति हडको/ वित्तीय संस्थान से लेने हेतु रखा जा रहा है ताकि इन योजनाओं को समयबद्व रूप से विकसित किया जा सकें। ट्रान्सपोर्ट नगर योजना एवं इन्द्रलोक आवासीय योजनाओं में सम्पत्ति विक्रय हेतु पंजीकरण खोले जा चुके है।

व्यय पक्ष में राजस्व व्यय मद में मुख्य रूप से अधिष्ठान एवं कार्यालय व्यय की विभिन्न मदों में मिलाकर कुल रू0 166.35 लाख के व्यय का प्राविधान प्रस्तावित किया जा रहा है। पूंजीगत व्यय मद में मुख्य रूप से ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, इन्द्रलोक आवासीय योजना तथा भेल सहकारी समिति आवासीय योजना में आवश्यक विकास कार्यो हेतु तथा हरिलोक फेज—दो में भूमि क्रय करने हेतु आवश्यक प्राविधानों को मिलाकर कुल रू0 4983.50 लाख के व्यय का प्राविधान प्रस्तावित किया जा रहा है। मदवार व्ययों का पूर्ण विवरण संलग्न आय—व्ययक में उपलब्ध है।

अतः उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2004—05 का वास्तविक आय—व्ययक अवलोकनार्थ तथा वित्तीय वर्ष 2005—06 का प्रस्तावित आय—व्ययक प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

(रू० लाख में)

क्र.	मद	2003-2004 वास्तविक	2004-2005 प्रस्तावित	2004-2005 वास्तविक	2005-2006 प्रस्तावित	2005-2006 30.6.05 वास्तविक
	प्रारम्भिक अवशेष	1626.93	1461.05	1461.05	307.86	307.86
(अ)	राजस्व आय					
1	स्टाम्प ड्यूटी	0.00	25.00	98.14	250.00	134.56
2	विनियोजनों पर ब्याज प्राप्तियाँ	84.08	25.00	40.27	5.00	0.00
3	मानचित्र शुल्क	16.50	25.00	38.67	40.00	12.11
4	शमन शुल्क	97.43	125.00	68.36	125.00	9.51
5	पर्यवेक्षण शुल्क	4.69	10.00	5.42	6.00	2.36
6	अनुदान प्राप्ति	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
7	विविध(टेण्डर फीस, लीज रेन्ट आदि)	3.21	10.00	3.87	5.00	1.11
8	विकास शुल्क	71.28	130.00	96.05	100.00	28.90
10	भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क	0.00	0.00	0.00	25.00	7.32
9	अम्बार शुल्क	5.60	15.00	6.46	7.50	1.70
10	फ्री-होल्ड शुल्क	17.83	10.00	3.36	5.00	0.93
11	हरिलोक योजना में अनुरक्षण शुल्क	0.70	0.50	1.58	3.00	0.82
12	हरितिमा शुल्क	0.00	0.00	11.30	15.00	3.40
13	आवेदन पुस्तिका विक्रय	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
(अ)	कुल राजस्व आय	**301.32**	**385.50**	**373.48**	**596.50**	**202.72**
(ब)	पूंजीगत आय					
1	ऋषिलोक आवासीय योजना	2.80	1.00	4.86	6.00	4.66
2	शिवलोक आवासीय योजना	3.82	4.00	9.81	25.00	16.52
3	हरिलोक आवासीय योजना	17.46	15.00	19.40	40.00	13.71
4	श्यामलोक आवासीय योजना	128.31	25.00	45.56	25.00	6.06
5	आश्रय योजना	3.04	4.00	4.66	3.00	1.00
6	गायत्री लोक	68.58	60.00	62.41	0.00	0.00
7	बी०एच०ई०एल०सह.स.शि.नगर आवास योजना	0.00	500.00	0.00	700.00	0.00
8	ट्रांसपोर्टनगर योजना हरिद्वार	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00
9	इन्द्रलोक आवासीय योजना	0.00	200.00	0.00	700.00	0.00
10	हुडको एवं अन्य संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति	0.00	1800.00	275.00	2250.00	0.00
11	प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन ऋण की वसूली	1.88	3.00	1.77	3.00	0.43
12	डिपाजिट कार्य (अर्द्ध० कु०मेला एवं विधायक निधि आदि)	412.53	150.00	54.89	5.00	0.00
(ब)	कुल पूंजीगत आय	**638.42**	**2862.00**	**478.36**	**4257.00**	**42.38**
	कुल आय (अ+ब)	**939.74**	**3247.50**	**851.84**	**4853.50**	**245.10**
	कुल आय प्रारम्भिक अवशेष को जोड़कर	**2566.67**	**4708.55**	**2312.89**	**5161.36**	**552.96**
(अ)	राजस्व व्यय					
1-	अधिष्ठान					
(i)	कर्मचारी वेतन/भत्ते	46.74	60.00	57.00	65.00	16.69
(ii)	यात्रा भत्ता	0.37	0.75	0.50	0.75	0.03
(iii)	दैनिक वेतन	0.30	0.45	0.07	0.40	0.00
(iv)	अवकाश नकदीकरण/पेंशन अंशदान	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

(रू० लाख में)

क्र.	मद	2003-2004 वास्तविक	2004-2005 प्रस्तावित	2004-2005 वास्तविक	2005-2006 प्रस्तावित	2005-2006 30.6.05 वास्तविक
	योग (अ)	47.41	63.20	57.57	68.15	16.72
2-	कार्यालय विविध व्यय					
(i)	डाक व्यय	0.11	0.20	0.10	0.40	0.03
(ii)	स्टेशनरी	0.62	1.00	0.36	1.00	0.42
(iii)	कार्यालय भवन अनुरक्षण	2.52	4.25	3.29	10.00	0.84
(iv)	अध्यक्ष कार्यालय अनुरक्षण	0.85	1.00	0.78	2.00	0.22
(v)	टेलीफोन	2.66	3.00	1.63	2.50	0.01
(vi)	पुस्तकालय	0.04	0.15	0.02	0.10	0.20
(vii)	कानूनी व्यय	1.93	5.00	1.41	5.00	0.06
(viii)	अतिथि सत्कार	0.53	1.00	0.29	1.00	0.20
(ix)	छपाई	0.48	0.50	0.01	1.00	0.13
(x)	विज्ञापन (सामान्य)	0.38	0.50	0.00	0.50	0.11
(xi)	योजनाओं के प्रसारण/निविदा सम्बन्धी विज्ञापन	1.48	20.00	2.40	25.00	0.00
(xii)	सम्परीक्षा शुल्क	1.25	3.00	2.96	3.00	0.26
(xiii)	विविध	0.63	1.00	1.12	1.00	0.00
(xiv)	कर्मचारी कल्याण	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
(xv)	मशीनरी अनुरक्षण	0.23	0.50	0.00	0.50	0.00
(xvi)	विद्युत अनुरक्षण /आपूर्ति	0.17	0.50	0.26	5.00	0.25
(xvii)	विवेकाधीन	0.05	0.25	0.05	0.50	0.01
(xviii)	अस्थाई अग्रिम	0.36	0.50	0.15	0.50	0.11
(xix)	कम्प्यूटर अनुरक्षण	0.08	1.00	0.29	1.00	0.00
(xx)	अम्बार शुल्क हस्तान्तरण	0.00	0.00	3.36	7.00	0.19
(xxi)	हरिलोक योजना अनुरक्षण व्यय	0.00	0.00	0.00	3.00	
	योग (ब)	14.37	43.55	18.48	70.20	4.26
3-	वाहन					
(i)	अनुरक्षण	1.53	1.50	1.49	1.50	0.26
(ii)	पैट्रोल/डीजल	7.04	7.50	4.67	7.50	2.56
	योग (स)	8.57	9.00	6.16	9.00	2.82
4-	कर्मचारी अग्रिम					
(i)	वाहन	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
(ii)	भवन/भूखण्ड	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00
	योग (द)	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
5-	मास्टर प्लान	4.20	15.00	0.00	10.00	0.00
6-	विकास कार्य (अनुदान)	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
7-	सिटी मैनेजर एसो०	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
	योग (य)	4.20	30.00	0.00	15.00	0.00
	कुल योग राजस्व व्यय (अ+ब+स+द+य)	74.55	149.75	82.21	166.35	23.80

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

(रू० लाख में)

क्र.	मद	2003-2004 वास्तविक	2004-2005 प्रस्तावित	2004-2005 वास्तविक	2005-2006 प्रस्तावित	2005-2006 30.6.05 वास्तविक
	पूंजीगत व्यय					
1	कार जीप मशीनरी आदि क्रय	1.45	7.25	0.40	7.50	0.00
2	कम्प्यूटर क्रय	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00
3	फ्रर्नीचर/फिक्चर्स क्रय	0.25	7.00	6.47	5.00	0.73
4	क्रेन्द्रीय स्टोर (सीमेन्ट व स्टील)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग (अ)	2.70	16.25	6.87	14.50	0.73
5	योजना भूमि क्रय					
(i)	नई योजना	182.14	1650.00	1544.60	1500.00	0.00
	योग (ब)	182.14	1650.00	1544.60	1500.00	0.00
6	योजना विकास/निर्माण कार्य					
(i)	शिवलोक आवासीय योजना	0.00	1.00	0.06	1.00	0.00
(ii)	श्यामलोक आवासीय योजना	0.00	10.00	8.00	10.00	2.40
(iii)	हरिलोक आवासीय योजना	2.02	2.00	0.00	3.00	0.00
(iv)	ऋण वापसी	0.00	150.00	0.00	400.00	275.00
(v)	ऋणों पर देय ब्याज	0.00	100.00	0.00	100.00	1.46
(vii)	शोध/ट्रेनिंग/परामर्श शुल्क	0.48	1.00	0.29	5.00	0.00
(viii)	अव० विकास निधि से विकास कार्य	35.67	100.00	18.14	150.00	5.51
(1x)	गायत्रीलोक	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
(x)	आश्रय योजना/ई.डब्लू.एस.	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
(xi)	डिपाजिट कार्यो पर व्यय (अ०कु०मेला एवं विधायक निधि आदि)	808.06	475.00	246.76	115.00	7.23
(xiii)	हरितिमा /वृक्षारोपण	0.00	10.00	8.15	15.00	2.88
(xiv)	ट्रांसपोर्टनगर हरिद्वार	0.00	80.00	2.60	900.00	0.23
(xv)	वी०एच०ई०एल०में पुनर्वास योजना	0.00	200.00	85.63	170.00	29.09
(xvi)	वी०एच०ई०एल०सह.स.शि.नगर आवास योजना	0.00	200.00	1.12	700.00	0.00
(xvii)	इन्द्रलोक आवासीय योजना	0.00	50.00	0.56	900.00	1.73
	योग (स)	846.23	1414.00	371.31	3469.00	325.53
	कुल योग पूंजीगत व्यय	1031.07	3080.25	1922.78	4983.50	326.26
	सकल योग व्यय	1105.62	3230.00	2004.99	5149.85	350.06
	अन्तिम अवशेष	1461.05	1478.55	307.90	11.51	202.90

मद सं0– 38–03

विषयः– प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना में 10 प्रतिशत सम्पत्ति निस्तारण हेतु विभिन्न श्रेणी के भूखण्डों के विकय हेतु प्राप्त मुहरबन्द निविदाओं / आवेदनों के आवंटन एवं शेष 90 प्रतिशत सम्पत्ति / भूखण्डों के विकय हेतु भूखण्डों का मूल्य / दर निर्धारण हेतु।

प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में सम्पत्ति के विकय हेतु मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की गाइड लाइन्स संबंधी पत्र संख्या– 4049 दिनांक 20–10–1999 को प्राधिकरण की 29 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21–12–1999 में मद सं0 29.06 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें उक्त गाइड लाइन्स के अनुसार मूल्यांकण निर्धारित करने के अनुपालन हेतु निर्देश दिये गये थें इन गाइड लाईन्स के पृष्ठ सं0–06 के बिन्दु 10 के अन्तर्गत नयी योजना के कियान्वयन में सम्पत्ति, विकय हेतु मूल्यांकरण की निम्न प्रकिया के पालन करने के निर्देश दिये गये है:–

" नयी योजना विकसित करने पर सर्वप्रथम उपलब्ध सम्पत्तियों में से भौगोलिक रूप से बीच में स्थित 10 प्रतिशत छॉटकर ओपिन ऑक्शन से बेचने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस ऑक्शन में प्राप्त बोलियों तथा वास्तविक लागत का विश्लेषण स्टडी कर शेष 90 प्रतिशत सम्पत्तियों का पंजीकरण/ आरक्षण के आधार पर बेचने के लिये मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। "

उक्त के अनुपालन में प्राधिकरण की प्रथम बार कियान्वित की जा रही इन्द्रलोक आवासीय योजना में तैयार किये गये तलपट मानचित्र (ले–आउट) के अनुसार उपलब्ध सम्पत्ति में से 10 प्रतिशत भूखण्डों को मुहरबन्द निविदा/ नीलामी के माध्यम से विकय करने हेतु दिनांक 08–6–2005 के दैनिक जागरण एवं दैनिक हॉक समाचार पत्रों में नीलामी सूचना प्रकाशन उपरान्त अन्तिम तिथि 22 जून, 2005 तक आवेदन आमन्त्रित किये गये। इन आवेदनों में श्रेणीवार प्राप्त उच्चतम दरों का पूर्ण विवरण निम्नवत् है:–

(क) 1. श्रेणी 300 वर्ग मीटर के आवासीय कम व्यवसायिक भूखण्ड :–

2. विकय हेतु प्रस्तावित भूखण्डों की संख्या–04

3. प्राप्त कुल आवेदन– 39

रू0 17.90 करोड़ का व्यय प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों की आय से किया गया है। वर्तमान में प्राधिकरण खातों में लगभग रू0 2.45 करोड़ का अवशेष है जिसमें रू0 0.95 करोड़ मेला निधि भी सम्मिलित है। इसके उपरान्त लेखाकार द्वारा प्रस्तावित आय–व्ययक में मुख्य रूप से सम्मिलित ट्रांसपोर्ट नगर योजना, इन्द्रलोक आवासीय योजना, भेल गृह निर्माण सहकारी आवास योजना, भेल पुर्नवास योजना एवं हरिलोक फेज–2 आवासीय योजना की पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गयी। प्राधिकरण की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति की अध्यक्ष महोदय द्वारा सराहना की गयी तथा वित्तीय वर्ष 2005–06 का प्रस्तावित आय–व्ययक– कुल आय रू0 5161.36 लाख तथा कुल व्यय रू0 5149.85 लाख सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

38–03 प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना में 10 प्रतिशत सम्पत्ति निस्तारण हेतु विभिन्न श्रेणी के भूखण्डों के विक्रय हेतु प्राप्त मुहरबन्द निविदाओं/ आवेदनों के आवंटन एवं शेष 90 प्रतिशत सम्पत्ति/ भूखण्डों के विक्रय हेतु मूल्य / दर निर्धारण हेतु

निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष–ह0वि0प्रा0, जिलाधिकारी–हरिद्वार एवं मुख्य वित्त अधिकारी–ह0वि0प्रा0 द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त दरों का परीक्षण कर निर्णय हेतु आख्या 10 दिन के अन्दर अध्यक्ष/ आयुक्त को प्रस्तुत की जाय।

38–04 इन्द्रलोक आवासीय योजना एवं ट्रांसपोर्ट नगर योजना में माह जून 05 में की गयी निविदाओं पर चर्चा

निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष–ह0वि0प्रा0, जिलाधिकारी–हरिद्वार एवं मुख्य वित्त अधिकारी–ह0वि0प्रा0 द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रकरण का परीक्षण कर निर्णय हेतु आख्या 10 दिन के अन्दर अध्यक्ष/ आयुक्त को प्रस्तुत की जाय।

Secretary Vice Chairman Chairman/Commissioner

क0सं0	आवेदक का नाम व पता	आरक्षित मूल्य(रूपये में)	प्राप्त दर (उच्च)	निविदा अनुसार कुल मूल्य (रूपये में)
1–	श्री अभिषेक अग्रवाल, 300 विवेक विहार, हरिद्वार।	10,58,400–00	143.76 प्रतिशत	25,80,000–00
2–	श्री पीयूष जैन, 276, गोविन्दपुरी हरिद्वार।	10,58,400–00	129.166 प्रतिशत	24,25,500–00
3–	श्री शकील अहमद, मौ0 भाटान(काजीपाड़ा) बिजनौर,उत्तर प्रदेश	10,58,400–00	108.852 प्रतिशत	22,10,500–00
4–	श्री विनीत गोयल, क्षेत्ररोड, ऋषिकेश।	10,58,400–00	91.00 प्रतिशत	20,21,544–00

(ख) 1– श्रेणी 250 वर्ग मीटर के आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड :–

2– विक्रय हेतु प्रस्तावित भूखण्डों की संख्या–03

3– प्राप्त कुल आवेदन– 24

क0सं0	आवेदक का नाम व पता	आरक्षित मूल्य(रूपये में)	प्राप्त दर (उच्च)	निविदा अनुसार कुल मूल्य (रूपये में)
1–	श्री मौहम्मद शाहीन, क्वा0नं0–5/ 3/ 1 भेल, हरिद्वार	8,82,000–00	139.82 प्रतिशत	21,15,250–00
2–	श्री किशन स्वरूप गर्ग, 35 सुभाष रोड, देहरादून।	8,82,000–00	91.00 प्रतिशत	16,84,620–00
3–	श्री मती रीता अग्रवाल, रजत इलैक्ट्रिकल्स कनाट पैलेस, देहरादून।	8,82,000–00	86.00 प्रतिशत	16,40,520–00

(ग) 1– श्रेणी 200 वर्ग मीटर के आवासीय भूखण्ड :–

2– विक्रय हेतु प्रस्तावित भूखण्डों की संख्या–04

3– प्राप्त कुल आवेदन– 56

क0सं0	आवेदक का नाम व पता	आरक्षित मूल्य(रूपये में)	प्राप्त दर (उच्च)	निविदा अनुसार कुल मूल्य (रूपये में)
1–	श्री आशीष जैन, 276 गोविनद्रपुरी, हरिद्वार।	4,70,400–00	124.78 प्रतिशत	10,57,400–00
2–	श्री सुभाष आर गोयल सी0–1 शिवालिक नगर, भेल, हरिद्वार।	4,70,400–00	109.00 प्रतिशत	9,83,136–00
3–	श्री संजय गुप्ता, 446 पीरवाली गली आर्य नगर, ज्वालापुर हरिद्वार।	4,70,400–00	62.00 प्रतिशत	7,62,048–00
4–	श्री वी0के0 त्रिपाठी 238, शिवालिक नगर, भेल, हरिद्वार।	4,70,400–00	61.65 प्रतिशत	7,60,402–00

(घ) 1– श्रेणी 162 वर्ग मीटर के आवासीय भूखण्ड :–

2– विक्रय हेतु प्रस्तावित भूखण्डों की संख्या–13

3– प्राप्त कुल आवेदन– 140

क0सं0	आवेदक का नाम व पता	आरक्षित मूल्य(रूपये में)	प्राप्त दर (उच्च)	निविदा अनुसार कुल मूल्य (रूपये में)
1–	श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, टी0–119 शिवालिक नगर भेल, हरिद्वार।	3,81,024–00	125.00 प्रतिशत	8,57,304–00
2–	श्री मती सुदेश वर्मन, टी0–38 सै0–12, नोयडा, गौतमबुद्धनगर	3,81,024–00	115.00 प्रतिशत	8,19,201–00
3–	श्री राम रिछपाल डी0–133 शिवालिक नगर भेल, हरिद्वार।	3,81,024–00	108.33 प्रतिशत	7,93,800–00
4–	श्री कपिल कुमार बर्मन, ग्राम व पो0 सुनैहटी, गांगलहेड़ी सहारनपुर।	3,81,024–00	101.00 प्रतिशत	7,65,858–00
5–	श्री अभिषेक बंसल, सी–105, शिवालिक नगर, भेल, हरिद्वार	3,81,024–00	70.11 प्रतिशत	6,48,162–00
6–	श्री मती पूनम गर्ग, 35 सुभाष रोड, देहरादून।	3,81,024–00	65.00 प्रतिशत	6,28,689–00
7–	श्री राकेश कुमार गुप्ता, ब्रदीबावला धर्मशाला मोती बाजार, हरिद्वार।	3,81,024–00	65.00 प्रतिशत	6,28,689–00
8–	श्री विनीत गोयल, 51 रेलवे रोड, ऋषिकेश	3,81,024–00	64.00 प्रतिशत	6,24,879–00
9–	श्री मती सरिता, हेतमपुर गढ़मीरपुर जिला–हरिद्वार	3,81,024–00	63.11 प्रतिशत	6,21,500–00

10–	श्री संजय गुप्ता आर्य नगर, ज्वालापुर हरिद्वार।	3,81,024–00	62.00 प्रतिशत	6,17,259–00
11–	श्री पारूल कटारिया, कटारिया नर्सिंग होम, कोटकपूरा , पंजाब	3,81,024–00	62.00 प्रतिशत	6,17,259–00
12–	श्री राकेश कुमार गुप्ता, व्यंजन होटल के सामने बुलन्दशहर	3,81,024–00	61.00 प्रतिशत	6,13,449–00
13–	श्री गुनीत दीप सिंह ललताराव पुल, हरिद्वार।	3,81,024–00	61.00 प्रतिशत	6,13,449–00

(ड.) 1– श्रेणी 120 वर्ग मीटर के आवासीय भूखण्ड :–

2– विक्रय हेतु प्रस्तावित भूखण्डों की संख्या–11

3– प्राप्त कुल आवेदन– 74

क0सं0	आवेदक का नाम व पता	आरक्षित मूल्य(रूपये में)	प्राप्त दर (उच्च)	निविदा अनुसार कुल मूल्य (रूपये में)
1–	श्री अतुल शर्मा बी0–75 शिवालिक नगर,भेल,हरिद्वार	2,82,240.00	109.04 प्रतिशत	5,90,000–00
2–	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री रामकृष्ण, 380 विवेक बिहार,हरिद्वार	2,82,240.00	103.86 प्रतिशत	5,75,400–00
3–	श्री पुनीत सिंघल,242 आर्यनगर,ज्वालापुर,हरिद्वार	2,82,240.00	96 प्रतिशत	5,53,190–00
4–	श्री रवि गर्ग,152 राजपुताना,रूडकी, हरिद्वार	2,82,240.00	65 प्रतिशत	4,65,696–00
5–	श्री राकेश कुमार गुप्ता, शर्मा कुन्ज, बुलन्दशहर	2,82,240.00	65 प्रतिशत	4,65,696–00
6–	श्रीमती पूनम गर्ग, 35 सुभाष रोड,देहरादून	2,82,240.00	62 प्रतिशत	4,57,229–00
7–	श्रीमती मनीषा गुप्ता, व्यंजन होटल के सामने,बुलन्दशहर	2,82,240.00	61.50 प्रतिशत	4,55,818–00
8–	श्री कॅवरपाल सिंह,ग्राम सुनहरा,रूडकी,हरिद्वार	2,82,240.00	60 प्रतिशत	4,51,584–00
9–	श्री कृष्ण गोपाल अठवालिया, ग्राम सुनहरा, रूडकी, हरिद्वार	2,82,240.00	60 प्रतिशत	4,51,584–00
10–	श्री लीला सिंह, मेनरोड जैटटारी, अलीगढ,उत्तर प्रदेश	2,82,240.00	58.73 प्रतिशत	4,48,000–00
11–	श्री पंकज कुमार चौहान, ग्राम बौगंला बहादराबाद,हरिद्वार	2,82,240.00	55.89 प्रतिशत	4,39,984–00

(च) 1– श्रेणी 90 वर्ग मीटर के आवासीय भूखण्ड :–

2– विक्रय हेतु प्रस्तावित भूखण्डों की संख्या–07

3– प्राप्त कुल आवेदन– 57

क0सं0	आवेदक का नाम व पता	आरक्षित मूल्य(रूपये में)	प्राप्त दर (उच्च)	निविदा अनुसार कुल मूल्य (रूपये में)
1–	श्री प्रेम शंकर वशिष्ट, ग्राम बढेरी, नॉगल सहारनपुर	2,11,680.00	150.00 प्रतिशत	5,29,200.00
2–	श्री संजीव मित्तल, यूनाइटेड इलैक्ट्रिकल्स रूड़की हरिद्वार।	2,11,680.00	130.00 प्रतिशत	4,86,864.00
3–	श्री राकेश कुमार, मौ0–मेहतान ज्वालापुर	2,11,680.00	130.00 प्रतिशत	4,86,864.00
4–	श्री राजीव मित्तल, यूनाइटेड इलैक्ट्रिकल्स रूड़की, हरिद्वार	2,11,680.00	125.00 प्रतिशत	4,76,280.00
5–	श्रीमति पूनम गर्ग, अनाज मण्डी, रूड़की हरिद्वार	2,11,680.00	115.00 प्रतिशत	4,55,112.00
6–	श्री जगमोहन कटारिया, कोट कपूरा पंजाब	2,11,680.00	115.00 प्रतिशत	4,55,112.00
7–	श्री इन्द्रजीत सिंह, जी0–103 शिवालिक नगर भेल हरिद्वार	2,11,680.00	112.58 प्रतिशत	4,50,000.00

(छ) 1– श्रेणी 72 वर्ग मीटर के आवासीय भूखण्ड :–

2– विक्रय हेतु प्रस्तावित भूखण्डों की संख्या–12

3– प्राप्त कुल आवेदन– 30

क0सं0	आवेदक का नाम व पता	आरक्षित मूल्य(रूपये में)	प्राप्त दर (उच्च)	निविदा अनुसार कुल मूल्य (रूपये में)
1–	श्री रमेश कुमार, उ0प्र0 हाउसिंग बोर्ड, रानीपुर मोड़ हरिद्वार	1,69,344.00	104.03 प्रतिशत	3,45,528.00
2–	कु0 नेहा अग्रवाल पुत्री श्री ए0के0अग्रवाल, 380 विवेक विहार हरिद्वार	1,69,344.00	103.95 प्रतिशत	3,45,384.00
3–	श्री सुमीत सिंघल 242 आर्य नगर ज्वालापुर, हरिद्वार	1,69,344.00	90.00 प्रतिशत	3,21,754.00
4–	श्री राजन शर्मा क्वा0 नं0–311 / 2 /1 भेल हरिद्वार।	1,69,344.00	50.00 प्रतिशत	2,54,016.00
5–	श्री मती कुसुम गर्ग, हनुमान मंदिर के पीछे , गाजियाबाद	1,69,344.00	45.00 प्रतिशत	2,45,549.00
6–	श्री मती शैफाली सिंघल, कुरूक्षेत्र हरियाणा	1,69,344.00	44.00 प्रतिशत	2,43,855.00
7–	श्री मती मोनिका गर्ग, हनुमान मंदिर के पीछे गाजियाबाद	1,69,344.00	43.00 प्रतिशत	2,42,162.00
8–	श्री नितिन कुमार, जे–120 शिवालिक नगर भेल, हरिद्वार।	1,69,344.00	42.00 प्रतिशत	2,40,468.00
9–	श्रीमती रीता अग्रवाल, रजत इलैक्ट्रिकल्स कनाट पैलेस देहरादून।	1,69,344.00	40.00 प्रतिशत	2,37,082.00
10–	श्री गौरव गुप्ता, 41 मकतूल पुरी रूड़की हरिद्वार।	1,69,344.00	36.25 प्रतिशत	2,30,731.00
11–	श्रीमती लीला रानी, यादवपुरी,रूडकी,हरिद्वार	1,69,344.00	29.00 प्रतिशत	2,18,454.00
12–	श्री मती लीना, 33 मण्डी निरंजनी अखाड़ा, हरिद्वार	1,69,344.00	28.00 प्रतिशत	2,16,760.00

(ज) 1– **श्रेणी 20 से 45 वर्ग मीटर के व्यवसायिक भूखण्ड :–**

2– विकय हेतु प्रस्तावित भूखण्डों की संख्या–10

3– प्राप्त कुल आवेदन– 81

क0सं0	आवेदक का नाम व पता	आरक्षित मूल्य(रूपये में)	प्राप्त दर (उच्च)	निविदा अनुसार कुल मूल्य (रूपये में)
1–	श्री मती उजमा कुरैशी, मोहकमपुर देहरादून	5000.00 प्रति वर्ग मीटर	192.00 प्रतिशत	14,600.00 प्रति वर्ग मी0
2–	श्री अब्दुल शमी, क्वा0 नं0–5/ 3 / 1 भेल, हरिद्वार	5000.00 प्रति वर्ग मीटर	144.51 प्रतिशत	12,225.00 प्रति वर्ग मी0
3–	श्री अभिषेक अग्रवाल, 300 विवेक विहार हरिद्वार।	5000.00 प्रति वर्ग मीटर	132.00 प्रतिशत	11,600.00 प्रति वर्ग मी0
4–	श्री नवील अहमद,मोकमपुर देहरादून	5000.00 प्रति वर्ग मीटर	116.00 प्रतिशत	10,800.00 प्रति वर्ग मी0
5–	श्रीमती रेखा सिंघल, रानीपुर मोड़ हरिद्वार	5000.00 प्रति वर्ग मीटर	111.00 प्रतिशत	10,550.00 प्रति वर्ग मी0
6–	श्री वालेश जैन, गोविन्द पुरी हरिद्वार	5000.00 प्रति वर्ग मीटर	102.00 प्रतिशत	10,100.00 प्रति वर्ग मी0
7–	श्री कृष्ण गोपाल अठवालियां, ग्रम सुनहरा रूड़की हरिद्वार	5000.00 प्रति वर्ग मीटर	101.00 प्रतिशत	10,050.00 प्रति वर्ग मी0
8–	श्री तोताराम, क्वा0–नं0–115/ 3 / 5बी भेल, हरिद्वार	5000.00 प्रति वर्ग मीटर	100.22 प्रतिशत	10,011.00 प्रति वर्ग मी0
9–	श्री गोपाल पंडित शास्त्री नगर, ज्वालापुर हरिद्वार	5000.00 प्रति वर्ग मीटर	94.00 प्रतिशत	9,700.00 प्रति वर्ग मी0
10–	श्री मती सरला देवी नॉगल, सहारनपुर	5000.00 प्रति वर्ग मीटर	85.00 प्रतिशत	9,250.00 प्रति वर्ग मी0

उपरोक्तानुसार विकय हेतु उपलब्ध भूखण्डों की समस्त श्रेणियों में अलग–अलग दरें प्राप्त हुई है। अतः आवेदनों के विरूद्व भूखण्डों की दरों के निर्धारण उपरान्त इनके आवंटन के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेने हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है । साथ ही इस योजना में अवशेष 90 प्रतिशत सम्पत्ति के विकय हेतु शीघ्र पंजीकरण खोला जाना है । अतः उक्त पंजीकरण हेतु भी भूखण्डों / सम्पत्ति के विकय हेतु दर / मूल्यांकन निर्धारण के सम्बन्ध में उचित मार्ग दर्शन अपेक्षित है।

मद सं0–38–04

विषयः– इन्द्रलोक आवासीय योजना एवं ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में माह –जून 05 में की गई निविदाओं पर चर्चा के सम्बन्ध में।

संक्षिप्त विवरणः–

1– इन्द्रलोक आवासीय योजनाः– भेल क्षेत्र में भेल पुर्नवास योजना में प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यो पर व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु शासन के निर्देशो के कम में भेल, हरिद्वार द्वारा सिडकुल क्षेत्र के समीप 45.00 एकड़ जमीन (दो फेज / स्थल) का कबजा प्राधिकरण को दिनांक 24–05–2004 .को दिया गया था। प्राधिकरण की गत बोर्ड बैठक दिनांक 29–01–05 में लिये गये निर्णय के कम में इस योजना मे 34.50 एकड प्रथम फेज योजना का ले–आउट तैयार कर सम्पत्ति विकय हेतु दिनांक 08–06–05 से दिनांक 22–06–2005 तक आवेदन आमंत्रित किये जा चुके है तथा इन आवेदनों में आयी दरों के निर्धारण उपरान्त इस योजना में शेष सम्पत्ति के विकय हेतु पंजीकरण खोलने की कार्यवाही तैयार है। प्रथम फेज में केवल दस प्रतिशत सम्पत्ति के अन्तर्गत कुल 64 भूखण्डो के विकय हेतु नीलामी में आवेदनमांगे गये थे निके विरूद्ध 502 आवेदन प्राप्त हुये है। इससे स्वतः स्पष्ट है कि यह योजना एक लोकप्रिय योजना रहेगी। बोर्ड के निर्देश के कम में इस योजना को तत्काल विकसित करने हेतु आवश्यक विकास कार्यो हेतु दिनांक 07.06.05 दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक बद्री विशाल तथा दिनांक 12.06.05 को दैनिक जागरण एवं दैनिक दी हॉक समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन उपरांत दिनांक.23.06.05 एवं 25.06.05 को निविदाओं को खोलने के उपरांत प्राधिकरण की सर्वोच्च ए श्रेणी में पंजीकृत न्यूनतम निविदादाताओं (आगणन दर/ आगणन से कम दरों पर) दिनांक 27.06.05 एवं 28.06.05 को निविदायें स्वीकृत की गई। स्वीकृत निविदाओं से संबंधित ठेकेदारों एवं प्राधिकरण के बीच इन कार्यो हेतु दिनांक 28.06.05 एवं 29.06.05 को अनुबन्धों एवं कार्यादेशों की कार्यवाही पूर्ण की गई।

2– ट्रान्सपोर्ट नगर योजनाः– सराय रोड, ज्वालापुर के समीप 15.25 हैक्ट0 भूमि में प्रस्तावित इस योजना की भूमि का कबजा प्राधिकरण को जिला भूमि,अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिनांक 24.06.2004 को प्राप्त कराया गया था। इस योजना के शिलान्यास दिनांक 15–10–04 को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इस योजना को 13 माह के अन्दर पूर्ण विकसित करने की घोषणा की गयी थी। इस योजना पर भूमि अर्जन मद में अब तक प्राधिकरण द्वारा कुल रू0–16.00 करोड़ का भुगतान जिला प्रशासन को किया जा चुका है। इस योजना में ले–आउट तैयार कर सम्पत्ति विकय करने हेतु दिनांक 16–06–05 से दिनांक 15–07–05 तक पंजीकरण खोला जा चुका है जिसमें प्रस्तावित कुल 144 भूखण्डो हेतु कुल 282 आवेदन प्राप्त हुये है तथा पंजीकरण की राशि के रूप में रूपये–52.00 लाख प्राप्त हुये है। इससे स्पष्ट है कि इस योजना की अत्यधिक मांग है। उक्त के कम में योजना को शीघ्र विकसित करने हेतु दिनांक 07.06.05 दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक बद्री विशाल एवं दिनांक 12.06.05 को दैनिक

जागरण एवं दैनिक दी हॉक समाचार पत्रों में निविदा सूचना प्रकाशन उपरान्त दिनांक 23.06.05 एवं 25.06.05 को खोलने के उपरांत प्राधिकरण की सर्वोच्च ए श्रेणी में पंजीकृत न्यूनतम निविदादाताओं (आगणन दर/ आगणन दर से कम) के पक्ष में दिनांक 27.06.05 एवं 28.06.05 को निविदायें स्वीकृत की गयी । स्वीकृत निविदाओं संबंधी ठेकेदारों एवं प्राधिकरण के बीच अनुबन्धों / कार्यादेशों की कार्यवाही दिनांक 28.06.05 एवं 29.06.05 को पूर्ण की गई।

उपरोक्त योजनाओं में निम्नवत् पत्रावलियों के परीक्षण उपरांत तत्कालीन उपाध्यक्ष/ जिलाधिकारी की आख्या दिनांक 07—07—05 पर अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय द्वारा निविदायें निरस्त कर प्रकरण बोर्ड में रखने के निर्देश दिये गये है।

क0सं0	कार्य का विवरण	निविदा राशि
1—	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में सीवर का कार्य	रू0 2.48 करोड़
2—	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में पार्किंग शेड एवं खुला क्षेत्र का विकास कार्य	रू0 2.28 करोड़
3—	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में नाली, नाला एवं कल्वर्ट निर्माण कार्य।	रू0 2.10 करोड़
4—	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में डिमार्केशन एवं सड़क निर्माण कार्य	रू0 3.08 करोड़
5—	इन्द्रलोक योजना में नाली , नाला एवं कल्वर्ट निर्माण कार्य	रू0 1.11 करोड़
6—	इन्द्रलोक योजना में सीवर निर्माण का कार्य	रू0 3.09 करोड़
7—	इन्द्रलोक योजना में डिमार्केशन, समतलीकरण एवं सड़क निर्माण कार्य	रू0 1.49 करोड़

उपरोक्तानुसार दोनो योजनाओं को समय से विकासित करने हेतु प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ / उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

मद सं0–38–05
विषय– सचिव, माडर्न इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलॉजी द्वारा खसरा नम्बर 1/ 13 ढालवाला ऋषिकेश में मानचित्र सं0– ऋषि0/ 120/ 2004–05 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

केश द्वारा प्रस्तुत एक मानचित्र सं0–72/ 2000 पर प्राधिकरण की 33 वीं बोर्ड बैठक के अनुमोदन पश्चात स्वीकृति प्रदान की गई। तत्समय प्रस्तावित महायोजना रत भू–उपयोग के अनुसार स्थल का भू–उपयोग "औद्योगिक" था। इस भू–उपयोग के अन्तर्गत तकनीकी संस्थाओं हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा विकास प्राधिकरण सभा ाष परिस्थितियों में अनुमन्य थी। 33 वीं बोर्ड बैठक में उक्त प्रस्ताव का औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं0 411/ 2002 में माननीय न्यायालय के निर्देशो के अनुपालन में प्रत्यावेदन का निस्तारण पूर्व उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 11–6–03 को करते हुए अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि ऋषिकेश महायोजना 2011 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावी महायोजना के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन की कोई आवश्यकता नही है । उक्त मानचित्र कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 12039.30 वर्गमी0 पर प्रस्तावित किया गया था, जिसका समस्त विकास शुल्क आदि 4,07,023–00 जो देय था प्राधिकरण कोष में जमा कराया गया था। मानचित्र स्वीकृति के पश्चात निर्माण पूर्ण कर लिया गया है स्वीकृति के विरूद्व कवर्ड ऐरिया से अधिक साइड सैट बैक में एक कमरे का निर्माण करने पर वाद सं0–नो0/ ऋषि0/ 75/ 2002 दिनांक 21–8–2002 विचाराधीन है ।

उपरोक्त स्वीकृति के अतिरिक्त इसी भूखण्ड क्षेत्रफल में पुनः माडर्न इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी द्वारा अतिरिक्त निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रश्नगत मानचित्र संख्या ऋषि0/120/ 2004–05 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान में लागू ऋषिकेश महायोजना 2011 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग एम–उद्योग प्रदर्शित है एवं प्रश्नगत भूखण्ड में से महायोजना में 18.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित महायोजना मार्ग पूर्व स्वीकृत / निर्मित भवन से होकर प्रदर्शित है। उक्त भू–उपयोग के अन्तर्गत महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार छात्रावास सहित पौलीटेक्निक तथा उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमोदित भू–उपयोग के अन्तर्गत आते है। प्रश्नगत प्रस्तावित अतिरिक्त निर्माण की प्रस्तावना प्रस्तावित महायोजना मार्ग से प्रभावित नही है।

38–05 सचिव, माडर्न इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नालोजी द्वारा खसरा नम्बर 1/ 13 ढालवाला ऋषिकेश में मानचित्र संख्या–ऋषि0/ 120/ 2004–05 की स्वीकृति के संबंध में

चूंकि यह अतिरिक्त निर्माण हेतु मानचित्र का प्रकरण है अतः निर्णय लिया गया कि बिना भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क लिये नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कर शासन को सूचनार्थ प्रेषित कर दिया जाय। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

38–06 प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को उत्तरांचल शासन के समस्त विभागों में लागू समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने विषयक

इस विषय पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी तथा निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1014 दिनांक 12.3.2001 को बोर्ड द्वारा अंगीकृत कर लिया जाय। तद्नुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जाय। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

38–07 वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी दिये जाने के संबंध में

इस विषय पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी तथा निर्णय लिया गया कि शासनादेश संख्या 3525/ 7/2004/17–उद्योग–04 औद्योगिक विभाग अनुभाग देहरादून दिनांक 10.1.2005 को बोर्ड द्वारा अंगीकृत कर लिया जाय। तद्नुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जाय। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

Secretary Vice Chairman Chairman/ Commissioner

वर्तमान शासनादेश सं0 1205 दिनांक 12—04—2005 के अनुसार औघोगिक से सामुदायिक सुविधाओं हेतु भू—परिवर्तन शुल्क वर्तमान भूमि मूल्य का 15 प्रतिशत इस प्रतिबन्ध के साथ कि उत्तरांचल शासन के उद्योग विभाग से अनापत्ति के पश्चात देय है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रस्तावित अतिरिक्त निर्माण की स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्याः–38–06

विषयः प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को उत्तरांचल शासन के समस्त विभागों में लागू समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने विषयक।

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के वित्त(सा0) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–1014/ 0–01 वित्त/ 2001 दिनांक 12–3–2001 के द्वारा समयमान वेतनमान की स्वीकृति राज्य कर्मचारियों के लिये अनुमन्य की गई है जिसकी प्रति उत्तरांचल शासन के सभी अनुभागों को पृष्ठांकित की गई है परन्तु उत्तरांचल शासन के आवास विभाग द्वारा प्राधिकरण में लागू किये जाने के संबंध में कोई आदेश जारी न होने के कारण उक्त आदेश का लाभ हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अधिकारियो/ कर्मचारियों को नही मिल पा रहा है। प्राधिकरण में कार्यरत अनेक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो अपने वेतनमान के अन्तिम स्लैब पा करते हुये विगत कई वर्षो से बिना वेतन वृद्वि के ही वेतन पा रहे है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण में ऐसे कर्मचारी जं. नियुक्ति तिथि 16–17 वर्षो से उसी पद पर कार्यरत है परन्तु कर्मचारियों को उक्त शासनादेश के अन्तर्गत 14 वर्ष की सेवा के अन्तर्गत दिये जाने वाला पदोन्नति वेतनमान का लाभ प्राप्त नही हुआ है। जिससे कर्मचारियों में रोष है।

यद्यपि शहरी विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं0–1174/ वी–श0वि0(आ0) / 2001 दिनांक 11–04–05 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों / जल संस्थानो में उक्त शासनादेश के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति आदेश जारी कर दिया गया है परन्तु आवास विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ विकास प्राधिकरणें हेतु अभी तक जारी नही किया गया है। प्रकरण शासन को पत्र सं0–4554 दिनांक 26–2–05 एवं पत्र सं0–840 दिनांक 22–6–05 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।

अतः प्रस्ताव है कि कर्मचारियों के प्रोत्साहन हेतु समयमान वेतनमान हेतु राज्य कर्मचारियों के लिये जारी शासनादेश सं0–1014/ 01 वित्त/ 2001 दिनांक 12–3–2001 के अन्तर्गत समयमान वेतनमान का लाभ हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अधिकारियो/ कर्मचारियों को उनकी देय तिथियों से आवास विभाग उत्तरांचल शासन के आदेश की प्रत्याशा में लागू किये जाने हेतु विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

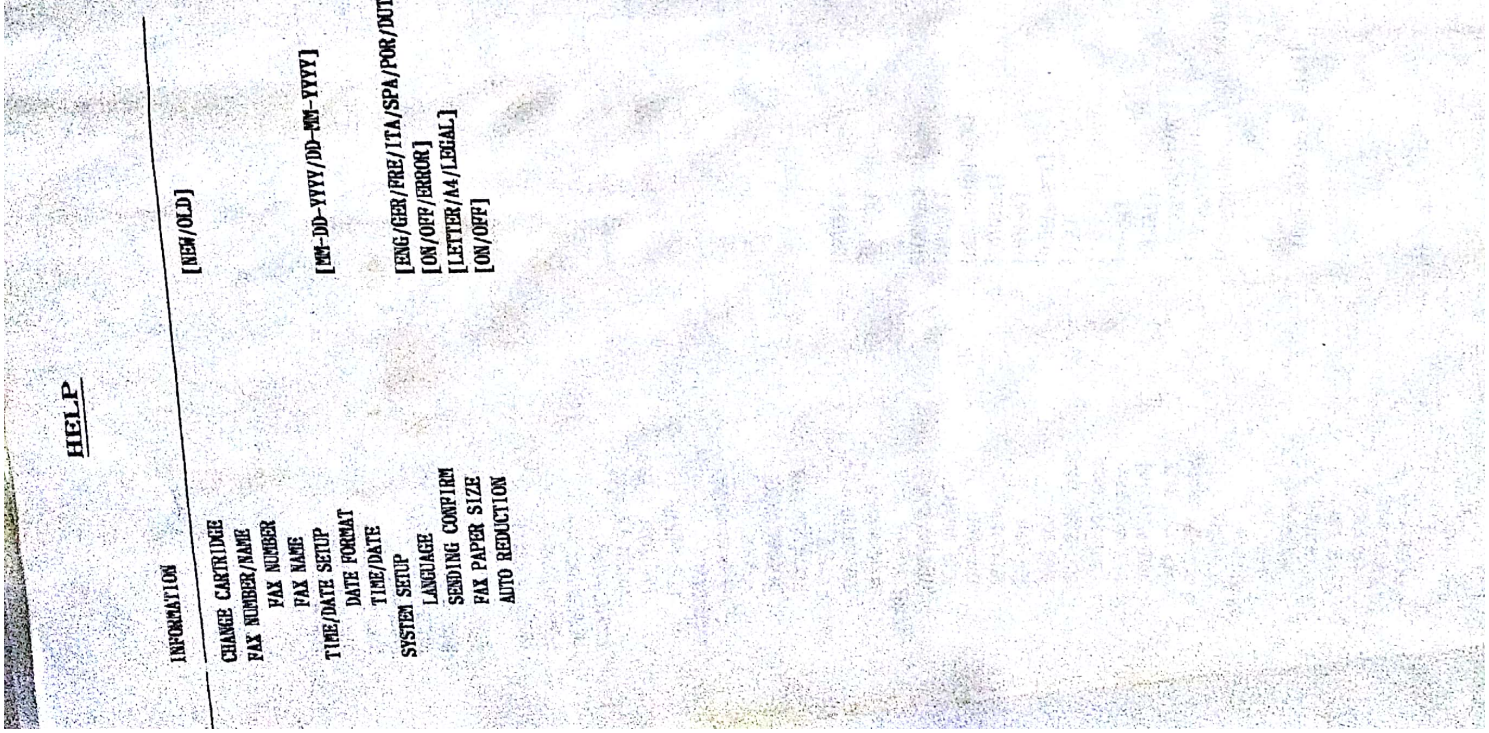

मद सं0–38–07

विषयः– वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो को वर्दी दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की अष्टम् बोर्ड बैठक दिनांक 16–9–89 के मद सं0–10 के अनुसार प्राधिकरण में प्राधिकरण के वाहन चालाको व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को शीतकालीन वर्दी तीसरे तथा ग्राष्म कालीन वर्दी प्रत्येक वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसमें ग्रीष्म कालीन वर्दी, सिलाई सहित रू0 280–00 अधिकतम तथा शीतकालीन वर्दी रू0 600–00 अधिकतम स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके अनुसार अब तक वर्दी दी जा रही है।

शासनादेश सं0–3525/ सात/ 2004/ 17–उद्योग/ 04 औद्योगिक विकास अनुभाग, देहरादून दिनांक 10–1–2005 के द्वारा निम्नवत दरें प्राप्त हुई हैः–

चतुर्थ श्रेणी –

कमांक	मद	दर(रूपये में)	सिलाई दर(रूपये में)
1–	कोट पैंट	194.00 प्रति मी0	675.00 प्रति
2–	कमीज आसमानी	34.00 प्रति मी0	48.00 प्रति
3–	पैंट काली	135.00 प्रति मी0	95.00 प्रति
4–	जूता	539.95 प्रति जोड़ा	–
5–	मौजा(पु0/ म0)	27.00 प्रति जोड़ा	–
6–	छाता	78.00 प्रति नग	–
7–	कम्बल	530.00 प्रति नग	–

राजकीय वाहन चालकः—

कमांक	विवरण	दर (रूपये में)	सिलाई दर (रूपये में)
1—	कोट पैंट	212.00 प्रति मी0	675.00 प्रति
2—	कमीज आसमानी	37.75 प्रति मी0	48.00 प्रति
3—	जूता	602.00 प्रति जोड़ा	—
4—	छाता	78.00 प्रति	—
5—	सफारी	158.00 प्रति मी0	170.00 प्रति
6—	कम्बल	530.00 प्रति नग	—

चूंकि प्राधिकरण/ आवास विभाग में इस हेतु कोई आदेश उपलब्ध नही है। अतः पूर्व की भॉति उपरोक्त संशोधित दरों को प्राधिकरण में लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष उचित निर्णय हेतु प्रेषित है।

मद संख्या—38—08

विषयः दैनिक वेतन / वर्कचार्ज कर्मचारियों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में ।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण में विगत 12 वर्षो से पूर्व के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी/वर्कचार्ज कर्मचारी तैनात है जिनमें 01 दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी , 02 वर्कचार्ज लिपिक एवं 12 वर्कचार्ज चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अर्थात कुल 15 कर्मचारी कार्यरत है । न्यूत्तम् मजदूरी के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल (उत्तरांचल) के आदेशो के कम में न्यूनतम् वेतन (वेतन + मंहगाई भत्ता) दिया जा रहा है । उपरोक्त सभी कर्मचारी पद के अनुकूल वेतनमान एवं मंहगाई भत्ते के भुगतान प्राप्त करने के पश्चात केवल वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित है । चूँकि पद के अनुकूल केवल नियमितिकरण शेष रह जाता है जिससे प्राधिकरण के ऊपर कोई वित्तीय हानि होने की सम्भावना नहीं है । अतः प्रस्ताव है कि उक्त दैनिक वेतन भोगी, वर्कचार्ज कर्मचारियों का नियमितिकरण का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष निर्णण हेतु प्रस्तुत है ।

38—08 दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में

इस विषय पर चर्चा की गयी तथा निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को संदर्भित कर दिया जाय तथा प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

38—09 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु—

(1) बहादराबाद क्षेत्र में पेट्रोल पम्प की स्वीकृति

अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध जारी नोटिस संख्या—नो0/ बहा0/ 21/ 2005—06 दिनांक 15.4.05 के सन्दर्भ में आवेदक श्री विकास गर्ग द्वारा दिनांक 7.6.05 को उक्त पेट्रोल पम्प को शमन करवाने हेतु भू—परिवर्तन शुल्क सहित धनराशि जमा कराने हेतु सहमति दी गयी तथा सूचित धनराशि कुल रू0 9.72 लाख प्राधिकरण में दिनांक 12.7.05 को जमा कराया जा चुका है। तकनीकी जांच हेतु प्रकरण नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून को भेजा चुका है। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।

(2) नोटिस संख्या—ऋषि/ 10/ 05—06 दिनांक 4.5.05 के सन्दर्भ में शमन मानचित्र में पार्किंग हेतु स्थल उपलब्ध न होने पर छूट के संबंध में

इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी। चूंकि प्राधिकरण भवन उपविधि में इस छूट हेतु कोई प्राविधान नहीं है अतः निर्णय लिया गया कि छूट अनुमन्य नहीं है।

Secretary Vice Chairman Chairman/ Commissioner

(3) उत्तरांचल के निवासियों हेतु आवासीय योजनाओं में आवंटन में प्राथमिकता के संबंध मे

उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 द्वारा रखे गये इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी। जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के भू–अध्यादेश में भी 500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड प्रत्येक भारतीय नागरिक को क्रय करने का अधिकार है अतः प्रस्ताव पर असहमति प्रकट की गयी।

(4) सरकारी कर्मचारियों को प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में आवंटन में प्राथमिकता

उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 द्वारा रखे गये उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुयी। निर्णय हुआ कि सामान्यतः उक्त प्राथमिकता सम्भव नहीं है परन्तु यदि उक्त कर्मचारी अपनी कोई सोसाइटी बनाकर नियमानुसार पंजीकरण उपरान्त आवेदन करते हैं तब विचार किया जा सकता है।

(5) बाईपास सड़क से भारतमाता मंदिर तक सड़क सुधार कार्य हेतु ह0वि0प्रा0 को मेला निधि से प्राप्त धनराशि रू0 20.77 लाख

अर्द्धकुम्भ मेले के दौरान शासन की स्वीकृति पत्र संख्या–177 दिनांक 27.1.04 के क्रम में उपरोक्त कार्यु ह0वि0प्रा0 द्वारा स्थल पर प्रारम्भ कराया गया था परन्तु इस क्षेत्र के निवासियों द्वारा विरोध करने पर कार्य बन्द कर दिया गया था। फलस्वरूप ठेकेदार का अन्तिम बिल इसी स्थिति में भुगतान कर दिया गया था जिसकी लागत मात्र रू0 38,417.00 आयी थी। इस प्रकार रू020,38,583.00 प्राधिकरण खाते में उपलब्ध हैं। इस विषय पर अध्यक्ष, न0पा0 हरिद्वार के अनुरोध पर चर्चा की गयी जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि नगर पालिका इस कार्य को पूर्ण करा देगी। इस पर अपर सचिव वित्त की सहमति के उपरान्त निर्णय लिया गया कि नगर पालिका से आगणन प्राप्त होने पर उक्त धनराशि नगर पालिका को हस्तांतरित कर दिया जाय।

न्त में उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 द्वारा अध्यक्ष महोदय का विशेष आभार व्यक्त करते हुये बैठक में उपस्थित अन्य उपस्थि दस्यों का भी आभार व्यक्त किया गया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक समाप्त की गयी।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/ Commiss er